ईएसआई अस्पताल श्रमिकों का है, राज्य सरकार की बपौती नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) बहुत से लोगों को बड़ी गलत फहमी रहती है कि ईएसआई कॉर्पोरेशन का मेडिकल कॉलेज अस्पताल सरकारी है। सुधी पाठक समझ लें कि कॉर्पोरेशन के किसी भी अस्पताल डिस्पेंसरी अथवा कार्यालय आदि के निर्माण एवं संचालन के लिये किसी भी सरकार का कोई पैसा नहीं लगा हुआ। हां, राज्य सरकारें जरूर अपने द्वारा चलाई जाने वाली ईएसआई सेवाओं का आठवां हिस्सा खर्च करने का नाटक करती है। इस आठवें हिस्से के बदौलत ईएसआई के संस्थानों पर अपनी चौधराहट चलाती हैं। उन्हें यदि कॉर्पोरेशन द्वारा छोड़ने को कहा जाय तो वे इसे छोड़ने को भी तैयार नहीं होती।

ईएसआई कॉर्पोरेशन मूलत: ब्रिटिश हेल्थ सर्विस की एक तरह से नकल है। उसी से प्रेरित होकर 1952 में ईएसआई कॉर्पोरेशन एक्ट संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य औद्योगिक मज़दूरों को, सरकारी चिकित्सा सेवाओं से बेहतर सेवा प्रदान करना था। इसके लिये एक्ट में मज़दूरों के वेतन से पौने दो प्रतिशत तथा मालिकान से पौने पांच प्रतिशत वसूली करने का कानून बनाया गया। इस प्रकार मज़दूरों के वेतन का कुल साढे 6 प्रतिशत कॉर्पोरेशन के खजाने में पहुंचने लगा। लेकिन कॉर्पोरेशन ने पूरी वसूली करने के बावजूद बीमाकृत मज़दूरों को वायदे के अनुसार देय सुविधायें प्रदान न करके अपने कोष में धन के अम्बार लगा लिये। आज के दिन इसके कोष में एक लाख सैंतीस हजार करोड़ रुपया भर गया है।

इस पैसे पर भी भाजपा सरकारों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। फ़रीदाबाद के जिस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को हरियाणा सरकार ने कोविड की दो लहरों के दौरान जमकर इस्तेमाल किया, उससे भी नगर निगम ने कम्पलीशन के नाम पर 5 करोड़ की वसूली करी। इतना ही नहीं मानेसर में पिछले दिनों जिस 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का शिलान्यास केन्द्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र सिंह व राज्य के श्रम मंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया था उसमें भी भारी ठगी मारी गई। इस अस्पताल के लिये हरियाणा सरकार ने एचएसआईडीसी के द्वारा कार्पोरेशन को जो साढे सात एकड़ जमीन दी है उसके बदले कार्पोरेशन से 120 करोड़ वसूले गये। उक्त भूखंड कुल चार ऐसे औद्योगिक प्लॉटों को जोड़ कर बनाया गया जिनका कोई ग्राहक नहीं था। वैसे भी इतने छोटे से भूखंड पर इतना बड़ा अस्पताल बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इतनी भारी-भरकम रकम से तो कॉर्पोरेशन, आस-पास कहीं भी 50 एकड़ ज़मीन खरीद सकती थी। संदर्भवश, हरियाणा सरकार जब भी कहीं अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि बनाने की बात करती है तो आस-पास के गांवों से पंचायती ज़मीन कौड़ियों के भाव कब्जा लेती है और बाद में वहां कुछ बनाती भी नहीं। लेकिन ईएसआई के मामले में खट्टर सरकार ने डबल ईंजन का फ़ायदा उठाते हुए 120 करोड़ की ठगी मार ली।

सरकारी गाज़ मज़दूरों के अस्पताल पर ही क्यों गिरती है, निजी अस्पतालों पर क्यों नहीं ?

माना कि सरकारी भ्रष्टाचार एवं निकम्मेपन के चलते राज्य भर में चिकित्सा सेवाओं की हालत बद से बद्तर होती जा रही है जिसे ठीक करने की न तो सरकार के पास आवश्यक इच्छाशक्ति है और न ही कोई प्राथमिकता। इलाज के नाम पर जनता के बीच सस्ती वाहवाही लूटने के लिये कभी आरएसबीवाई (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) तो कभी आयुष्मान भारत जैसी पाखंड भरी योजनायें पेश की जाती हैं। किसी से छिपा नहीं है कि इलाज तो डॉक्टरों द्वारा अस्पतालों में ही हो सकता है न कि पाखंड भरी बीमा योजनाओं से। संदर्भवश बिना कोई चवन्नी खर्च किये, जनता को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिये खट्टर की काली नज़र ईएसआई अस्पताल पर ही कयों पड़ी? उन्हें तमाम पंचसितारा आलीशान व्यापारिक अस्पताल क्यों नज़र नहीं आते? क्या उनके पूंजीपति मालिकान इतने सशक्त एवं बलशाली हैं कि खट्टर की हिम्मत उनकी ओर ताकने की भी नहीं होती?

लगता है निजी असपताल मालिकों के मुकाबले ईएसआई अस्पताल के असल मालिक यानी मज़दूर उन्हें कमजोर नज़र आते हैं। अगर ऐसा है तो खट्टर को अपनी यह गलतफहमी शीघ्रातिशीघ्र दूर कर लेनी चाहिये। मज़दूर यदि आज सो रहा है तो उसे मरा हुआ न समझा जाये। मज़दूर जब अपने हितों को बचाने के लिये डंडे-झंडे लेकर अपने अस्पतालों की रक्षा करने को आ खड़ा होगा तो भूपेन्द्र व खट्टर का समझौता धरे का धरा रह जायेगा।

जल भराव एवं बिजली की भेंट....

पेज एक का शेष

ने भी उनके फ़ोन की परवाह नहीं की। उसके बाद 112 नम्बर पर फ़ोन करने के बाद पुलिस आई और बिजली बंद कराई गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बीके अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है तथा मृतका के मां-बाप को सूचित कर दिया है। पोस्टमार्टम व अन्य कार्रवाई बिहार से उनके आने के बाद ही की जायेगी।

सवाल यहां सबसे बड़ा यह पैदा होता है कि युवती पानी में डूब कर मरी अथवा बिजली के करंट से मरी? बेशक यह फ़ैसला तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। लेकिन मौका ए वारदात देखने से स्पष्ट समझ में आता है कि वहां डूबने लायक पानी तो था नहीं इसलिये इसकी मौत का कारण बिजली का करेंट लगना ही हो सकता है। इसके लिये बिजली विभाग सीधे तौर पर उसकी मौत के लिये जिम्मेवार बनता है। तकनीकी जानकारों के अनुसार किसी भी कारण से बिजली का तार टूटने पर पीछे से आने वाली बिजली सप्लाई को ट्रिप होकर बंद हो जाना चाहिये। लेकिन यह ट्रिपिंग केवल तभी हो पाती है जब सुरक्षा के लिये बनाये गये नियमों का पालन करते हुए सभी सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल किया जाय। जाहिर है यहां आवश्यक सुरक्षा मानकों की अवहेलना की गई थी इसलिये बिजली विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा तो बनता ही है। इसके साथ-साथ मृतका के परिजनों को मुआवजा भी बिजली विभाग पर देय बनता है।

इस बाबत बिजली विभाग के एसई नरेश कक्कड़ ने बताया कि उस समय तमाम बिजली लाईनें बंद कर दी गयी थी। इसलिए लड़की को करंट लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हो सकता है उसका हार्ट फेल हो गया हो। सच्चाई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि आसपास के किसी घर में जनरेटर चल रहा हो और उसने बैक मार दिया हो तो भी करंट लगाने की संभावना हो सकती है। इसके बाद मोर्चा ने संबंधित पुलिस अधिकारी प्रदीप मोर से पूछा तो उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के विरुद्ध भादस सहिता की धारा 304ए के तहत मुकदमा 374 दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट से मृत्यु होना साबित हो चुका है। आसपास के किसी भी घर में कोई बड़ा जनरेटर नहीं चल रहा था। इसलिए करंट केवल बिजली विभाग की टूटी तार में ही चल रहा था।

स्टेडियम में कुत्ता घुमाना महंगा पड़ा आईएएस संदीप को, केजरी सरकार चुप

नई दिल्ली (म.मो.) खिलाड़ियों के अभ्यास एवं प्रशिक्षण के लिये बने खेल स्टेडियम को अपनी निजी जायदाद समझने वाले 1994 बैच के आईएएस अधिकारी संदीप खीरवार को बहुत महंगा पड़ गया।

स्थानीय त्यागराज स्टेडियम में शाम के समय अभ्यासरत खिलाड़ियों को वहां से भगा कर साहब बहादुर अपनी पत्नी रिंकु डुग्गा व पालतु कुत्ते के साथ घूमने आते थे। सायं करीब साढे सात बजे साहब बहादुर के आने से करीब आधा घंटा पहले स्टेडियम के गार्डों द्वारा तमाम खिलाड़ियों को बाहर निकाल कर स्टेडियम खाली करा लिया जाता था। अंग्रेजी के एक बड़े अखबार में फोटो सहित यह खबर छपने के बाद एग्मुट कैडर के संदीप को दिल्ली से उठा कर सीधे लद्दाख फेंक दिया गया। इतना ही नहीं उनकी पत्नी रिंकु जो 1994 बैच की एग्मुट कैडर की अधिकारी हैं, को अरूणाचल में तैनाती दी दी गई है। विदित है कि इस तरह के तबादले सीधे पीएमओ द्वारा किये जाते हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मामले का कड़ा संज्ञान लेने की बात तो किसी हद तक समझ आती है लेकिन लोकतंत्र, जनतंत्र व नागरिक अधिकारों की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर तो बड़ा सवाल बनता ही है। साफ़-सुथरे प्रशासन की दुहाई देने वाले केजरी वाल के राज में उक्त आईएएस ऐसा कर कैसे पा रहा था? स्टेडियम में मौजूद गार्डों व प्रशिक्षकों की बात तो छोड़िये वहां के प्रशासक तक उक्त अधिकारी के सामने क्यों लमलेट हो गये थे? अपने कर्त्तब्य का निर्वहन एवं खिलाड़ियों के अधिकार की रक्षा के लिये वे सीधे तन कर आईएएस अधिकारी के सामने क्यों नहीं खड़े हो सके? जाहिर है आम आदमी की बात करने वाले केजरीवाल के शासन में आम आदमी की कोई औकात नहीं बची है। भंडा फूटने के बाद जब स्टेडियम के प्रशासक से पत्रकारों द्वारा पूछा गया तो उसने ऐसी किसी भी बात की जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसी को तो कहते हैं प्रशासनिक दहशत, सब कुछ जानते हुए भी कुछ न कह पाना। केजरीवाल ने भी अपनी झेंप उतारते हुए पूरे मसले पर बिना कुछ बोले कह दिया कि अब खिलाड़ी रात के 10 बजे तक भी स्टेडियम में अभ्यास कर सकेंगे।

इस मसले में गौरतलब है कि देश के बड़े अखबार के पत्रकारों तक को भी इसमें घुसने की इजाजत नहीं थी। एक बड़े अखबार के पत्रकार ने पड़ोस की एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर स्टेडियम में घूमते खीरवार उनकी पत्नी व कुत्ते की फोटों खींचने में कामयाबी हासिल की। यह फोटो इसलिए जरूरी समझी गयी थी कि कहीं साहब बहादुर पूरी खबर को ही न झुठला दें।

यह मामला तो एक उदाहरण मात्र ही है वरना न जाने तमाम बड़े अफ़सर अपनी अफ़सरशाही का दुरुपयोग करते हुए क्या-क्या गुल नहीं खिला रहे होंगे। आये दिन फैक्ट्रियों में लगने वाली आग की भेंट चढ़ने वाले मज़दूरों के लिये सबसे बड़ा दोषी दिल्ली सरकार का श्रम विभाग ही तो है। यह विभाग सीधे तौर पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के तहत आता है। तमाम फैक्ट्रियों में सुरक्षा के तय मानकों को लागू न कराने के एवज में श्रम विभाग जो लूट कमाई करता है, क्या सिसोदिया उससे अनभिज्ञ हैं या वसूली में से अपना हिस्सा लेकर चुप्पी साधे रहते हैं?

टूल किट वितरण समारोह - ब्यूटी वेलनेस छात्राओं को टूल किट दी गई

फरीदाबाद। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकूला के निर्देशानुसार राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगला गुजरान में प्रधानाचार्य रेनू बैंसला की अध्यक्षता में आयोजित टूलकिट वितरण समारोह में ब्यूटी एंड वेलनेस वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहीं छात्राओं को ब्यूटी वेलनेस किट प्रदान की गई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी पार्षद महेंद्र भडाना नंगला गुजरान उपस्थित रहे ओर विद्यालय की अस्सी छात्राओं को टूलकिट वितरित की। विद्यालय की प्रधानाचार्य रेनू बैंसला ने कहा की ब्यूटी वेलनेस वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहीं छात्राओं को इस टूलकिट के द्वारा स्किल डेवलपमेंट करने में सुगमता होगी और ये छात्राएं अपने व्यवसायिक अध्यापक की सहायता से सेल्फ प्रैक्टिस द्वारा अपने टैलेंट को और भी प्रखर बनाएंगी। मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित महेंद्र भडाना ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में सरकार द्वारा छात्राओं को टूलकिट वितरित करने से छात्राएं आत्मनिर्भर बनेंगी और अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकेंगी और दूसरी महिलाओं को भी नौकरी दे सकेंगी। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालय निजी विद्यालयों से बहुत आगे निकल रहे हैं उच्च प्रशिक्षित अध्यापक, स्वच्छ और खुला विद्यालय परिसर, डिजिटल शिक्षा हेतु छात्राओं को नि:शुल्क टैबलेट, समय समय पर हेल्थ चेक अप कैंप जैसी सुविधाओं से संपन्न राजकीय विद्यालय निजी विद्यालयों को पीछे छोड़ चुके हैं। प्रधानाचार्य रेनू बैंसला ने मुख्य अतिथि पार्षद महेंद्र भडाना एवम अपने सभी अध्यापकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि आज कक्षा बारहवीं ओर दसवीं की छात्राओं को कुल अस्सी टूलकिट दी गई जिनमे नेल पेंट रिमूवर, नेल कटर, पेडिक्योर मेनीक्योर किट, टॉवेल्स, अप्रोन, हैंडग्लव्स, सवलान, हेयर कैप, थ्रेड, सैनिटाइजर, टालकॉम पाउडर, कैची,

फेसमास्क, प्लकर, मिरर, ब्रश, फेस वेट वाइप्स, कॉटन रोल, हैंड वाश, इलेक्ट्रिक बॉडी मैसेजर, फेस स्टीमर, वैक्स हीटर, हेयर स्ट्रेटनर, कर्लिंग रोड, ब्लो ड्रायर इत्यादि मिला कर 42 आइटम्स का सेट बॉक्स सभी छात्राओं को दिया गया। इस दौरान उन्होने दीपक VT B&W एवं प्रीति VT IT जो विद्यालय में छात्राओं को शिक्षित करते हुए सरकार के निर्देशों के अनुसार छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं उनका आभार जताते हुए सत्यपाल सिंह शास्त्री जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे ओर सुंदर आयोजन के लिए सभी अध्यापकों और छात्राओं का धन्यवाद किया।

दवा कंपनियों द्वारा लूट का तांडव

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

सरकार द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार प्रत्येक दवा कम्पनी को अपने उत्पाद का अधिकतम मूल्य (एमआरपी) अंकित करना अनिवार्य है। लेकिन यह एमआरपी कितना होना चाहिये और इसे कैसे तय किया जाना चाहिये इस बाबत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय फार्म कंपनियों के बिके हुए एजेंट की भूमिका में होता है।

इसका सारा फ़ायदा दवा विक्रेताओं और बड़े व्यापारिक अस्पतालों को होता है। दवा विक्रेता तो फ़िर भी अपने ग्राहकों को पांच-दस प्रतिशत डिस्काउंट देकर खुश कर देता है जबकि व्यापारिक अस्पताल 100 रुपये की दवाई को एक हजार से लेकर दस हजार रुपये तक मरीज़ों के मत्थे मढ़ देते हैं। अपने बचाव में ये अस्पताल दवा पर लिखी एमआरपी का हवाला दे देते हैं। कानून की जिस खामोशी के चलते लूट का यह धंधा चल रहा है उसके पीछे सरकार का हाथ है। यह सम्भव नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाली लूट से सरकार अनभिज्ञ हो। जब अनभिज्ञ नहीं है तो लूट में से बड़े-बड़े चंदे व लूट कमाई में से हिस्सा पत्ति भी तो शासक वर्ग में पहुंचना तय है। विदित है कि पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला अस्पतालों के लिये होने वाली खरीद पर 1 प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहा था। पकड़े जाने पर मुख्यमंत्री भगवत मान ने उसे गिरफ़्तार करा कर जेल भेज दिया। समझने वाली बात यह है कि जब साफ़-सुथरी एवं ईमानदार कही जाने वाली पार्टी का मंत्री कमीशन मांग सकता है तो फ़िर मोदी एवं उनका गिरोह भला कैसे पीछे रह सकता है?